RCMJ/2018/00148

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रकरण संख्या – 01/2018 लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 /12398
दायर दिनांक – 18.09.2018
आदेश दिनांक – 19.11.2018

अपील अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011

आदेश

श्रीमती गायत्री देवी पत्नि श्री चन्द्रप्रकाश तेली, बड़ी पुलिस, नीमच रोड़, छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़ द्वारा राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अपील दिनांक 04.09.2018 को संभागीय आयुक्त कार्यालय को प्रेषित किया। अपीलार्थी अनुसार तहसीलदार, छोटी सादड़ी द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 25.07.2018 के आधार पर नामान्तरकरण नहीं खोलने से उसके द्वारा द्वितीय अपील अधिकारी जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ को अपील प्रेषित की गई। परन्तु नामान्तरकरण नहीं खुलने के स्थिति में अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय में अपील पेश की गई।

संभागीय आयुक्त कार्यालय, उदयपुर के पत्र कमांक 10681 दिनांक 27.9.2018 से श्रीमती गायत्री देवी द्वारा प्रस्तुत अपील की प्रति जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ को भिजवाते हुए अपील का जवाब चाहा गया तथा उसकी प्रति अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने हेतु लिखा गया। इस पत्र की प्रति अपीलार्थी को भेज सूचित किया गया कि यदि अपील के जवाब पर कोई पक्ष/प्रति–उत्तर निम्नहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करना चाहे अथवा व्यक्तिगत सुनवाई चाहते है तो उपस्थित हो सकते है।

जिला कलक्टर ने अपील का जबाव दिनांक 24.10.2018 को प्रस्तुत किया, जिसमें अवगत कराया कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण आवेदन अन्तर्गत लोक सेवा सेवा गारन्टी अधिनियम–2011 के तहत नामान्तरकरण हेतु सक्षम लोक प्राधिकारी तहसीलदार को 47 दिवस का अभिप्राय है, जिसके अनुसार 23.10.2018 तक लोक सेवक द्वारा उक्त आवेदन पर विधिवत विनिश्चय किया जाना है। उक्त अधिनियम अन्तर्गत नामान्तरकरण कार्यवाही हेतु विहित लोक सेवक के विरूद्ध प्रथम अपील प्राधिकारी संबंधित उपखण्ड अधिकारी है तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर अथवा जिला कलक्टर द्वारा नामित पदाधिकारी है।

जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ द्वारा उक्त अपील का उत्तर अपीलार्थी को भी भिजवाया गया हैं।

अपीलार्थी श्रीमती गायत्री देवी ने प्रति–उत्तर दिनांक 10.11.2018 से प्रेषित कर अवगत कराया कि तहसीलदार, छोटी सादड़ी द्वारा नामान्तरकरण कार्यवाही दिनांक

m.

23.10.2018 की जानी थी किन्तु आज दिनांक 10.11.2018 तक इनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ से प्राप्त अपील के जवाब व अपीलार्थी के प्रत्युतर का अवलोकन किया गया। लोक सेवा गारन्टी अधिनियम–2011 अनुसार नामान्तरकरण आवेदन अन्तर्गत लोक सेवा सेवा गारन्टी अधिनियम–2011 के तहत नामान्तरकरण हेतु सक्षम लोक प्राधिकारी तहसीलदार को 47 दिवस का अभिप्राय है, जिसके अनुसार 23.10.2018 तक लोक सेवक द्वारा उक्त आवेदन पर विधिवत विनिश्चय किया जाना है। अपीलार्थी द्वारा नामान्तरकरण कार्यवाही नहीं होने के स्थिति में प्रथम अपीलीय अधिकारी उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम में अन्तर्गत अधिसूचित प्राधिकारी समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किया जाना प्रतीत नहीं होता है। जिससे प्रश्नगत अपील अस्वीकार योग्य है।

अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 23.10.2018 तक लोक सेवक तहसीलदार, छोटी सादड़ी द्वारा नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं गई। जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थी के प्रत्युतर में वर्णित तथ्यों की जांच करा राज. लोक सेवा गारन्टी अधिनियम–2011 अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करावें। राज. लोक सेवा गारन्टी अधिनियम–2011 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील का निस्तारण करते हुए फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जाती है।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

01. जिला कलक्टर, प्रतापगढ़
02. श्रीमती गायत्री देवी पत्नि श्री चन्द्रप्रकाश तेली, बड़ी पुलिस, नीमच रोड़, छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़

संभागीय आयुक्त,
उदयपुर